Action Taken Report of Uttarakhand Pollution Control Board

In matter of

Original Application no. 538/2022

Swarn Singh

Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

Respondent(s)

I. Background

1. That this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in aforementioned matter i.e. Original Application No. 538/2022, Swarn Singh Vs. State of Uttarakhand & Ors., in para 3 of the order dated 16.05.2024 was pleased to direct as under;

"........

the show cause notice for imposition of Environmental Compensation (EC) for damage caused on account of illegal mining was given to the following: (i) Sh. Himmat Singh, (ii) Sh. Subhash Chandra, (iii) Sh. Kripal Singh and (iv) Sh. Karam Singh. He submits that after issuance of show cause notice, these project proponents have been given opportunity of hearing by the State Board and has referred to the minutes of the meeting containing the details of hearing which stipulates on 21.02.2024 (page 259). He has also submitted that the minutes are prepared on 14.05.2024 and in the meeting the Board has approved the details of extent of illegal mining and the calculation mentioned in the show cause

notice. He submits that now the appropriate order for imposition of EC will be passed within 10 days.

3. Hence, we grant six weeks' time to the UKPCB to file the action taken report by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

…………"

II. That in compliance with the aforementioned direction of this Hon'ble Tribunal, the Member Secretary, UKPCB vide letter dated 29th May, 2024 directed the concerned project proponents to furnish their clarifications/documents/evidence if they are desirous of the same. In this connection, a copy of the letter dated 29th May, 2024 is being marked and filed as **Annexure-1** for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

III. That thereafter, a letter dated 15th June, 2024 was addressed to the Secretary, Mining, seeking clarification regarding the grant of mining permissions. In response, the Secretary, Mining was of the opinion that the Environmental Compensation (EC) should be calculated solely up to the extent of the mining permissions granted.

IV. That further, a meeting was held under the chairmanship of the Principal Secretary, Environment Conservation and Climate Change on 12th September, 2024, in which a decision was taken to seek the opinion of the Principal Secretary (Law) *cum* LR,

Government of Uttarakhand. In this connection, copy of minutes of meeting dated 23.09.2024 is being marked and filed as **Annexure-2** for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

V. That the matter is currently under consideration before the Principal Secretary (Law) *cum* LR, Government of Uttarakhand. Immediately upon receipt of the opinion of the Principal Secretary (Law) *cum* LR, Government of Uttarakhand, the final Environmental Compensation (EC) shall be determined and imposed in accordance with the applicable rules.

****

The report is being submitted for the perusal of the Hon'ble NGT.

(Dr. Parag Madhukar Dhakate)
Member Secretary,
Uttarakhand Pollution Control Board

NGT / महत्वपूर्ण / समयबद्ध

Annexure-1

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष : 0135-2607092

पत्रांकः यूकेपीसीबी /एच.ओ. /सा 0 –296 (III)/2024 /255........-दिनांकः 29/05/2024

Speed Post/E-mail/WhatsApp

सेवा में ,

1. श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी ,तहसील कालाढूंगी जिला नैनीताल।
2. श्री सुभाष चंद्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी दुर्गापालपुर, मोतीराम, तहसील लालकुआँ, जिला नैनीताल।
3. श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कॉलोनी तहसील बाजपुर, जिला ऊधम सिंह नगर।
4. श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़ ,बैलपड़ाव ,तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में योजित द्वारा M-A- No- 34/2023 in O-A- No- 798 /2022 Mamta Chourasia & Ors Vs State of Uttarakhand with O-A- No- 538/232 Swarn Singh Vs State of Uttarakhand & Ors- के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 यूकेपीसीबी /एच.ओ. /सा0 –296 (III)/2024 /1404 दिनांक 12.02.2024 एवं यूकेपीसीबी /एच.ओ. /सा0 –296 (III)/2024 /1343 दिनांक 01.01.2024 एवं यूकेपीसीबी /एच.ओ. /सा0 –296 (III)/2024/1245 दिनांक 10.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ,जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में यदि आपको कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत करना है तो इसके सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है यदि आपको कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत करना है तो इस पत्रांक की प्राप्ति के दो कार्यदिवसों के भीतर कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

पत्रांकः केपीसीबी/एच.ओ./सा0–296(III) /2024/ तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मै0 रब एण्ड रब एसोसियेट 68 दून विहार, जाखन, राजपुर रोड देहरादून को सुनवाई में उपस्थित रहने हेतु प्रेषित।
2– क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर को विडियों के माध्यम से आवश्यकतानुसार उपस्थित रहने हेतु।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी।
4– प्रभारी Compliance & Monitoring Cell, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, देहरादून।

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

Uttarakhand Pollution Control Board
Diary No. 7040
Date 05/11/24

मा॰राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–538/2022 स्वर्ण सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य तथा **MA No. -34/2023**ममता चौरसिया एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा॰प्राधिकरण द्वारा दिनांक 18.10.2023 को पारित के अनुपालन में प्रमुख सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 12.09.2024 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थितिः–

1. श्री बृजेश सन्त, सचिव, औद्योगिक विकास विभाग (खनन), उत्तराखण्ड शासन।
2. श्रीमति कहकशां नसीम, अपर सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. डॉ0 पराग मधुकर धकाते, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बैठक का शुभारम्भ किया गया। बैठक में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि कालाढूंगी क्षेत्र में खनन से सम्बन्धित 04 प्रकरण– (1) श्री सुभाष चन्द्र, पुत्र श्री टीका राम, ग्राम–दुर्गापालपुर, लालकुंआ, नैनीताल (2) श्री कृपाल सिंह, पुत्र श्री करतार सिंह, शूद कालोनी, बाजपुर, उधमसिंहनगर (3) श्री हिम्मत सिंह, पुत्र श्री करतार सिंह, ग्रमा–पत्ता पानी, कालाढूंगी, नैनीताल (4) श्री करम सिंह, पुत्र श्री सुच्चा सिंह, ग्राम–सैमलचौड, बैलपडाव, कालाढूंगी, नैनीताल के विरूद्ध संयुक्त समिति की संस्तुति के आधार पर कारण बताओ नोटिस निर्गत किये गये। मा0 प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशों के क्रम में राज्य बोर्ड द्वारा Project Proponent को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई में श्री करम सिंह, पुत्र श्री सुच्चा सिंह को छोड़कर 03 Project Proponent द्वारा प्रतिभाग किया। सुनवाई में Project Proponent के अनुरोध को अस्वीकार किया गया एवं खनन व्यवसायीयों द्वारा पुनः प्रत्यावेदन बोर्ड में प्रस्तुत किया गया, जिन्हें सचिव, खनन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सुविचारित तकनीकी आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी पट्टाधारकों के प्रत्यावेदन प्रेषित् किये गये। अपर सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खनन पट्टे, खनन कार्य की श्रेणी में नहीं है, ये (short term permit) 6 माह एवं 3 माह के लिये निर्गत किये गये हैं।

2– सचिव, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.03.2020 में उल्लिखित प्रस्तर 13 द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत शासन की अधिसूचना दिनांक 28.10.2021 द्वारा तत्समय समतलीकरण तथा अन्य कई मदों को गैर खनन कियाकलाप घोषित किया गया है। उक्त तीनों पट्टे समतलीकरण एवं बेसमेन्ट खुदाई से सम्बन्धित है। अतः उन पर पॉच साल के लिये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी उचित नहीं होगी।

3– बैठक में विचार–विमर्शोपरान्त प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकरण पर अपना मन्तव्य सहित कालानुक्रमणिका (Chronological) के आधार पर एक नोट तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जाय, जिस पर

शासन द्वारा न्याय विभाग से विधिक परामर्श प्राप्त किया जाय।

अन्त में सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

Signed by
Kahkashan Naseem
Date: 23-09-2024 13:20:23

(कहकशाँ नसीम)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग
संख्या–I/241907/XXXVIII–1–2024
देहरादूनः दिनांकः– 23 सितम्बर, 2024

<u>प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग (खनन), उत्तराखण्ड शासन।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. निदेशक, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सतेन्द्र बर्मन)
अनु सचिव।